

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2343 / 2007 / अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
चैकपोस्ट-शाहजहांपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स नेशनल परिवहन कार्पोरेशन,
67-खन्ना मार्केट, नई दिल्ली।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उपराजकीय अभिभाषक
श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी विभाग की ओर से

..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 15/06/2017

निर्णय


1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 660/आरएसटी/एनआरडी/99-00 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रभारी, दस्तावेज संग्रहण केन्द्र, वाणिज्यिक कर, शाहजहांपुर, अलवर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.1999 के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,37,854/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.06.1999 को वाहन संख्या HR-26GA/1166 को चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। परिवहनित माल दिल्ली से गुजरात के लिये था। दस्तावेजों की जांच पर बिल व बिल्टियां बोगस प्रतीत होने पर उनकी जांच कम्प्यूटर फ्लोपी से करवाये जाने पर माल प्रेषक एवं प्रेषित के नाम सत्यापित नहीं हो सके। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिल व बिल्टी के सत्यापन हेतु प्रत्यर्थी व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति राशि रूपये 1,37,854/- आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.04.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी-व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना जांच के मात्र कम्प्यूटर फ्लोपी से माल से संबंधित दस्तावेजों को बोगस प्रमाणित कर दिया, जो न्याय संगत नहीं है। परिवहनित माल राज्य बाहर से राज्य बाहर के लिये था, एवं परिवहनित माल के साथ समस्त आवश्यक वांछित दस्तावेज उपलब्ध थे, एवं परिवहनित माल राज्य के बाहर गन्तव्य स्थान पर पहुँच गया था। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ मौजूद दस्तावेजों की जांच कम्प्यूटर फ्लोपी से करवाये जाने पर उनके फर्जी एवं बोगस प्रतीत होने से शास्ति का आरोपण किया, परन्तु दस्तावेजों की किसी भी प्रकार से ठोस जांच नहीं की गई, एवं किसी भी प्रकार से यह प्रमाणित नहीं किया गया कि परिवहनित माल राज्य में कहीं उतारा गया हो या बेचा गया हो। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल राज्य से बाहर जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया था। इसका उल्लेख अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में कर रखा है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी पर 78(5) की कार्यवाही कर शास्ति आरोपण की कार्यवाही करना विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। उक्त अपील में कोई नया बिन्दु सामने नहीं आया है। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।
7. फलतः अपीलार्थी-विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(खेमराज)
अध्यक्ष